

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:—386/2019/225 (2019/00386)



1. मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास बान्दर सिन्दरी, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये इसके पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी:—
1/1— धमेन्द्र नाथ पुत्र स्व0 भैरूनाथ, जाति जोगी, पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास बान्दर सिन्दरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सत्यनारायण नाथ उर्फ सत्तू पुत्र स्व0 लक्ष्मणनाथ उर्फ लक्ष्मीनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास बान्दरसिन्दरी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. गणेशनाथ पुत्र स्व0 लक्ष्मणनाथ उर्फ लक्ष्मीनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास बान्दर सिन्दरी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. अमरनाथ पुत्र स्व0 गिरधारीनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास, बान्दर सिन्दरी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. लहरीनाथ पुत्र गिरधारीनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास, बान्दर सिन्दरी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर हाल नि0 मोरेड़ तह0परबतसर, जिला नागौर ।
5. शिवनाथ पुत्र गिरधारीनाथ जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी, मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास, बान्दर सिन्दरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम मोरेड़, तहसील परबतसर, जिला नागौर ।
6. श्रीमती रामीदेवी पत्नि स्व0 शिवनाथ उर्फ श्योजीनाथ पुत्र भैरूनाथ, जाति नाथ (जोगी) जरिये तथाकथित पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी, मंदिर श्री महादेव जी पंजीकृत प्रन्यास, बान्दर सिन्दरी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, जिला अजमेर दिनांक 9.10.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 68/2019.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थित:—

1. श्री सुण्डाराम जाट, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वी0एस0 भाटी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक:- 25.2.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 9.10.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रार्थीगण/रेस्पोंड संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजकाशतअधि 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 मंदिर श्री महादेव जी ग्राम बान्दरसिन्दरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर देवस्थान विभाग के अन्तर्गत एक पंजीकृत प्रन्यास है जिसका पंजीयन दिनांक 22.2.1980 को मिसल संख्या 26/1977 के तहत हुआ है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1/2 से 1/3 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/4 से 1/6 उक्त प्रार्थी संख्या 1 मंदिर श्री महादेव जी ग्राम बान्दर सिन्दरी तहसील किशनगढ़ के पुजारी/मैनेजर/ट्रस्टी है। उक्त मंदिर श्री महादेव जी को तत्समय जागीरदार द्वारा कृषि भूमियां दी गई थी तथा उक्त कृषि भूमि का कब्जा तत्समय के पुजारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/5 के पूर्वज खेमनाथ पुजारी को संभलाया गया था तब से उक्त मंदिर एवं इसकी कृषि भूमियों का कब्जा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/5 के पूर्वज खेमनाथ का ही चला आ रहा है। वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/4 का संयुक्त रूप से कब्जा काशत है। ग्राम नोहरिया पटवारी हल्का नलू-द्वितीय तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर स्थित खसरा नंबर 217 रकबा 00-17-00, खसरा नंबर 245 रकबा 1-17-00 एवं खसरा नंबर 246 रकबा 251-17-00 कुल किता 3 कुल रकबा 254-01-00 बीघा आराजी मंदिर श्री महादेव जी बान्दर सिन्दरी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ की खेवट खतौनी संख्या 252 के खसरा नंबर 11 रकबा 00-09-00, खसरा नंबर 12 रकबा 4-5-00, खसरा नंबर 203 रकबा 35-04-00, खसरा नंबर 209 रकबा 109-09-00, खसरा नंबर 237 रकबा 00-03-00, खसरा नंबर 238 रकबा 08-00-00, खसरा नंबर 244 रकबा 2-16-00, खसरा नंबर 256 रकबा 48-09-00, खसरा नंबर 286 रकबा 00-01-00, खसरा नंबर 287 रकबा 61-00-00, खसरा नंबर 599 रकबा 7-08-00, खसरा नंबर 626 रकबा 00-04-00, खसरा नंबर 627 रकबा 00-04-00, खसरा नंबर 628 रकबा 01-03-00, खसरा नंबर 629 रकबा 00-04-00, खसरा नंबर 630 रकबा 00-05-00, खसरा नंबर 631 रकबा 20-06-00, खसरा नंबर 681 रकबा 02-07-00, खसरा नंबर 684 रकबा 00-07-00 कुल किता 19 कुल रकबा 302-09-00 बीघा आराजी मंदिर श्री महादेव जी स्थान आसन खेमनाथ गुरु जीवणनाथ सा आसन देह पुजारी के नाम दर्ज है। उक्त ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नंबर पुराना 46 नया 256 रकबा 48-09-00, खसरा नंबर पुराना 162 नया 631 रकबा 20-06-00, खसरा नंबर पुराना 158 नया 629 रकबा 00-04-00, खसरा नंबर पुराना 161 नया 633 रकबा 00-05-00, खसरा नंबर पुराना 157 नया 626 रकबा 00-04-00, खसरा नंबर पुराना 30 रकबा 61-06-00 जिसके नये खसरा नंबर 286 रकबा 00-01-00 एवं खसरा नंबर 287 रकबा 61-05-00 एवं खसरा नंबर पुराना नया 244 रकबा 02-16-00 कुल रकबा 133-10-00 आराजी के कब्जे काशत का नामांतरण दिनांक 12.1.1964 को लक्ष्मीनाथ उर्फ लक्ष्मणनाथ पुत्र खेमनाथ के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार खसरा नंबर पुराना 9 नया 203 रकबा 35-04-00 एवं



(Signature)
 राजस्थान अपील प्राधिकारी
 अजमेर




खसरा नंबर पुराना 11 नया 209 रकबा 109-09-00 कुल आराजी 144-13-00 में से 114-00-00 आराजी के कब्जे काशत का नामांतरण दिनांक 12.1.1964 को भैरुनाथ पुत्र खेमनाथ के नाम स्वीकार हुआ। खेमनाथ ने उक्त मंदिर की देखरेख व्यवस्था एवं प्रबंधन बेहतर तरीके से हो तथा उक्त मंदिर एवं इसकी सम्पतियों को कोई खुरदबुर्द नहीं करे इसलिये उक्त मंदिर एवं इसकी सम्पतियों के ट्रस्ट का गठन कर अपने तीन पुत्र भैरुनाथ, लक्ष्मीनाथ उर्फ लक्ष्मणनाथ एवं गिरधारीनाथ को ट्रस्टी नियुक्त किया तत्पश्चात् उक्त ट्रस्ट का पंजीकरण देवस्थान विभाग में करवाने के लिए एक आवेदन पत्र इस ट्रस्ट के कार्यवाहक प्रन्यासी एवं पुजारी खेमनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भैरुनाथ जोगी के द्वारा सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के समक्ष पेश किया जिसके पंजीयन आदेश दिनांक 22.2.1980 को जारी हुए जिसमें उक्त प्रन्यास के तीन प्रन्यासी भैरुनाथ पुत्र खेमनाथ जोगी, लक्ष्मणनाथ पुत्र खेमनाथ जोगी एवं गिरधारीनाथ पुत्र खेमनाथ जोगी का नाम उक्त पंजीयन आदेश के पैरा संख्या 5 में स्पष्टतया उल्लेखित है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजियात ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ स्थित खसरा नंबर 11 रकबा 00-09-00, खसरा नंबर 12 रकबा 04-05-00, खसरा नंबर 237 रकबा 00-03-00, खसरा नंबर 238 रकबा 08-00, खसरा नंबर 599 रकबा 07-00, खसरा नंबर 627 रकबा 00-04-00, खसरा नंबर 628 रकबा 01-03-00, खसरा नंबर 681 रकबा 02-07-00 एवं खसरा नंबर 694 रकबा 00-07-00 आराजी का नामांतरण मंदिर श्री महादेव जी स्थान आसन खेमनाथ गुरु जीवणनाथ सा आसन देह पुजारी के नाम ही रहा। इसी प्रकार उक्त पंजीयन आदेश के पैरा संख्या 6 में इस प्रन्यास के प्रन्यासी पद पर उत्तराधिकारी का तरीका वंश परम्परागत होना स्पष्टतया अंकित है। उक्त मंदिर के ट्रस्ट का देवस्थान विभाग में पंजीयन होने के पश्चात् उक्त मंदिर श्री महोदव जी बान्दर सिन्दरी की ग्राम नोहरिया पटवार हल्का नलू-द्वितीय तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 217 रकबा 00-07-00, खसरा नंबर 245 रकबा 01-17-00 एवं खसरा नंबर 246 रकबा 251-17-00 कुल किता 3 कुल रकबा 254-01-00 आराजी को देवस्थान विभाग की ट्रस्ट सम्पति के रूप में दर्ज है तथा उक्त आराजी इसके उक्त तीनों ट्रस्टी भैरुनाथ, लक्ष्मणनाथ एवं गिरधारीनाथ में निविष्ट हो गयी। किसी भी मंदिर के पुजारी/सिबैत तथा ट्रस्टी में अंतर होता है। किसी मंदिर के पुजारी/सिबैत में मंदिर की सम्पतियां निविष्ट नहीं होती है जबकि किसी मंदिर की सम्पतियों का एक बार ट्रस्ट गठित हो जाने के पश्चात् मंदिर की उक्त सम्पतियां ट्रस्टियों में निविष्ट होती है तदनुसार चूंकि मंदिर महादेव जी बान्दर सिन्दरी की सम्पतियों का ट्रस्ट गठित होकर इसका पंजीयन हो गया है, उक्त मंदिर महादेव जी की उक्त सम्पतियां इसके तीन ट्रस्टियों में समान रूप से विधि अनुसार निविष्ट हो गई है तथा नामांतरण रजिस्टर ग्राम नोहरिया पटवार हल्का नलू-द्वितीय भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ के अनुसार खसरा नंबर 217 रकबा 00-07-00, खसरा नंबर रकबा 01-17-00 एवं खसरा नंबर 246 रकबा 251-17-00 कुल किता 3 कुल रकबा 254-01-00 आराजी श्री महादेव जी महाराज स्थान बान्दर सिन्दरी खातेदार पुजारी आश्व बुद्धनाथ पुत्र भैरुनाथ पुजारी जैर अहतमाम भैरुनाथ, गिरधारीनाथ, लक्ष्मणनाथ ट्रस्टी पि० खेमनाथ के नाम से स्वीकार हुआ। वर्ष 2005 में ट्रस्टी भैरुनाथ का देहांत हो गया तत्पश्चात् उक्त मंदिर श्री महादेव जी ट्रस्ट बांंदरसिंदरी के पंजीयन निर्णय दिनांक 22.2.1980 के अनुसार प्रन्यासी पद पर उत्तराधिकार का तरीक वंश परम्परागत के अनुसार होने से भैरुनाथ के देहांत के पश्चात् बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एण्ड बाई

DP-
राजस्व अपाल प्राधिकारी
अजमेर



एटोर्नमेंट भैरूनाथ के पुत्रगण श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 धमेन्द्रनाथ उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी हो गये एवं उपरोक्त सम्पत्ति का 1/3 हिस्से का कब्जा काशत इनमें निविष्ट हो गया । तत्पश्चात् भैरूनाथ के पुत्र श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ का भी देहोत हो गया इसलिये बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एण्ड बाई एटोर्नमेंट श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ के वंशज अप्रार्थी संख्या 1/2 श्रीमती रामी देवी बेवा शिवनाथ उर्फ श्योजीनाथ उक्त मंदिर श्री महादेव जी प्रन्यास में प्रन्यास की ट्रस्टी हो गयी । इस प्रकार उपरोक्त पैरा संख्या 6 में वर्णित सम्पत्ति का 1/3 हिस्सा का कब्जा काशत ट्रस्टी श्री भैरूनाथ में निविष्ट था वह हिस्सा भैरूनाथ के देहांत के बाद उनके पुत्र श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 में प्रत्येक में 1/6, 1/6 हिस्सा में कब्जा काशत समान रूप से निविष्ट हुआ था जो 1/6 हिस्सा श्योजीनाथ उर्फ शिवनाथ के देहांत के बाद उसके वंशज अप्रार्थी संख्या 1/2 श्रीमती रामीदेवी में निविष्ट होकर तब से ही प्रतिवादी संख्या 1/2 रामीदेवी का ही कब्जा काशत है । इसी प्रकार वर्ष 2010 में ट्रस्टी लक्ष्मणनाथ का देहांत होने के पश्चात् बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्व० लक्ष्मणनाथ के वारिसान उनके पुत्र अप्रार्थी संख्या 1/2 सत्यनारायण उर्फ सत्तूनाथ एवं अप्रार्थी संख्या 1/3 गणेशनाथ, लक्ष्मणनाथ की जगह ट्रस्टी हो गये इसलिये पैरा संख्या 6 में वर्णित आराजियात कृषि भूमि के 1/3 हिस्से का जो क जा काशत लक्ष्मणनाथ में निविष्ट था वह कब्जा काशत प्रार्थी संख्या 1 सत्यनारायण नाथ उर्फ सत्तूनाथ एवं प्रार्थी संख्या 2 गणेशनाथ में समान रूप से 1/6, 1/6 हिस्से में निविष्ट हो गया और तब से ही उपरोक्त पैरा संख्या 6 में वर्णित आराजियात के 1/6 हिस्से का कब्जा काशत प्रार्थी संख्या 1 एवं 2 का संयुक्त रूप से चला आ रहा है और वर्तमान में भी इन्हीं का कब्जा काशत है । इसी प्रकार वर्ष 2015 में ट्रस्टी गिरधारीनाथ का भी देहांत हो गया इसलिये उपरोक्त पैरा संख्या 6 में वर्णित आराजी का 1/3 हिस्सा का जो कब्जा काशत गिरधारीनाथ में निविष्ट था वह उसके देहांत के बाद उसके वंशज प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/5 गिरधारीनाथ की जगह ट्रस्टी हो गये इसलिये उनमें प्रत्येक में समान रूप से बराबर-बराबर 1/9, 1/9 हिस्से का कब्जा काशत निविष्ट हो गया और तत्पश्चात् उपरोक्त पैरा संख्या 6 में वर्णित आराजी कृषि भूमि के 1/9 हिस्से का कब्जा काशत बराबर एवं समान रूप से प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/5 का संयुक्त रूप से चला आ रहा है ।

3. अप्रार्थी संख्या 1/1 धमेन्द्रनाथ ने ट्रस्टी भैरूनाथ के देहांत के पश्चात् गुपचुप तरीके से केवल अपना ही नाम देवस्थान विभाग में भैरूनाथ की जगह ट्रस्टी के रूप में दर्ज करवा लिया जिसका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/5 के पिता स्व० गिरधारीनाथ को जानकारी होने पर उन्होंने इसे देवस्थान विभाग में धारा 24 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत चुनौती देकर इसकी पुनः जांच करवाने हेतु प्रकरण दर्ज करवाया जो सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर के यहां विचाराधीन है । इसलिये ग्राम नोहरिया पटवार हल्का नलू-द्वितीय तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 217 रकबा 00-07-00, खसरा नंबर 245 रकबा 01-17-00 एवं खसरा नंबर 246 रकबा 251-17-00 कुल किता 3 कुल रकबा 254-01-00 में 1/3 हिस्से में प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से के कब्जे काशत का अधिकार है जिसकी घोषणा किया जाना उचित है । इसी प्रकार ग्राम बान्दरसिंदरी तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर पुराना 46 नया 256 रकबा 48-09-00, खसरा नंबर पुराना 162 नया 631 रकबा 20-06-00, खसरा नंबर पुराना 158 नया 629 रकबा


राजस्थान अपील प्राधिकारी
अजमेर




00-04-00, खसरा नंबर पुराना 161 नया 633 रकबा 00-05-00, खसरा नंबर पुराना 157 रकबा 626 रकबा 00-04-00, खसरा नंबर पुराना 30 रकबा 61-06-00 जिसके नये खसरा नंबर 286 रकबा 00-01-00 एवं खसरा नंबर 287 रकबा 61-05-00 एवं खसरा नंबर पुराना 24 नया 244 रकबा 02-16-00 कुल रकबा 133-10-00 का नामांतरण दिनांक 12.1.1964 को लक्ष्मीनाथ उर्फ लक्ष्मणनाथ पुत्र खेमनाथ के देहांत के पश्चात् प्रार्थीगण का है कि घोषणा किया जाना उचित एवं आवश्यक है। उपरोक्त आराजी में केवल खसरा नंबर 287 रकबा 61-05-00 का कब्जा काश्त प्रार्थी संख्या 1 के पास है जैसा कि तहसीलदार, किशनगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 2.8.2014 से सिद्ध होता है तथा वादीगण के कब्जे काश्त की शेष आराजी में से खसरा संख्या 256 रकबा 48-19-00 आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1/2 रामीदेवी गैर कानूनी रूप से काबिज होकर काश्त कर रही है एवं खसरा नंबर पुराना 162 नया 631 रकबा 20-06-00, खसरा नंबर 158 नया 629 रकबा 00-04-00, खसरा नंबर पुराना 161 नया 633 रकबा 00-05-00, खसरा नंबर पुराना 157 नया 626 रकबा 00-04-00 खसरा नंबर पुराना 30 रकबा 61-06-00 जिसके नये खसरा नंबर 286 रकबा 00-01-00 एवं खसरा नंबर पुराना 24 नया 244 रकबा 2-16-00 आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1/1 धर्मेन्द्र नाथ ने गैर कानूनी रूप से कब्जा कर काश्त कर रहा है इसलिये उक्त आराजी का कब्जा काश्त प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1/1 एवं अप्रार्थी संख्या 1/2 से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित आराजी में प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का समान रूप से 1/6 हिस्सा है की घोषणा किया जाना उचित है तथा उक्त आराजी का कब्जा काश्त प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1/1 से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं, उनके वारिसान, रिश्तेदार, मित्रगण, नौकर चाकर, एजेन्ट असाईनिज इत्यादि ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित खसरा नंबर 287 रकबा 61-05-00 आराजी के प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी, बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं न ही करावे तथा ताफैसला वाद प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित अन्य खसरा नंबरान की आराजी एवं प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 व 7 में वर्णित आराजी के प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/6 हिस्से की आराजी को किसी को काश्त हेतु ठेके पर नहीं देवे विकल्प में ताफैसला वाद उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। अधीन्याया ने अपने निर्णय दिनांक 9.10.2019 द्वारा प्रार्थी/रेस्पे संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर ग्राम बांदर सिंदरी स्थित खसरा नंबर 287 रकबा 61-05-00 आराजी के प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी, बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करने तथा ताफैसला मूल वाद प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित अन्य खसरा नंबरान की आराजी एवं प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 व 7 में वर्णित आराजी के प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/6 हिस्से को किसी को काश्त हेतु ठेके पर नहीं देने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया। अधीन्याया के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

W.S.M.
राजस्थान न्यायालय अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधी०न्याया० द्वारा निर्णय पारित करते समय अप्रार्थी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित समस्त कथनों का उल्लेख किये बिना मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अंतर्गत स्पष्ट रूप से विस्तारपूर्वक कथन अंकित किये थे । अधी०न्याया० ने अप्रार्थी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रारंभिक आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है जिससे अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय विधिविरुद्ध होकर निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मंदिर के नाम दर्ज है । मंदिर रिकार्ड खंटातेदार है । इसके बावजूद अधी०न्याया० द्वारा मंदिर की आराजी के संबंध में गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है जबकि प्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई लेना-देना नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में मंदिर के नाम दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1 मंदिर के पूर्व के शिष्य है । विधिनुसार उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्व महत्न के शिष्य होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1/1 का वादग्रस्त आराजी पर प्रारंभ से आज दिवस तक कब्जा काशत एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद अन्य धाराओं के साथ धारा 183 राज०काशत०अधि० के तहत भी प्रस्तुत किया गया है जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कब्जा नहीं है । इसके अलावा प्रार्थी द्वारा वाद के अंतर्गत मुख्य रूप से कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संपूर्ण वादग्रस्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1/1 मंदिर के अधिकृत पुजारी/मैनेजर/ ट्रस्टी होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत कर रहे हैं तथा कृषि आय से मंदिर की देखरेख एवं मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है । उक्त वर्णित समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अधी०न्याया० ने अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । प्रार्थी द्वारा मूल वाद में घोषणा का अनुतोष भी चाहा है । वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मंदिर के नाम दर्ज है । राज०काशत०अधि० की धारा 46 के तहत मंदिर की खंटातेदारी भूमि की घोषणा किसी भी व्यक्ति के नाम से नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में वादी का वाद पोषणीय नहीं था । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मंदिर की भूमि की खंटातेदारी किसी भी व्यक्ति/पुजारी/ ट्रस्टी को नहीं दी जा सकती है । अधी०न्याया० ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि नाथ सम्प्रदाय के अनुसार आयस/पुजारी/चेला नियुक्त किया जाता है । वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में खेमनाथ चेला थे । उनके देहांत के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी बुद्धनाथ हुए । बुद्धनाथ के देहांत के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी जितेन्द्रनाथ हुए । जितेन्द्रनाथ के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी धर्मेन्द्रनाथ अप्रार्थी संख्या 1/1 उनके चेले हुए । उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1/1 धर्मेन्द्रनाथ मंदिर के अधिकृत पुजारी हैं । यह समस्त तथ्य अधी०न्याया० के समक्ष जवाब के माध्यम से एवं दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किये गये थे जिन्हें अधी०न्याया० ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का विधिनुसार विवेचन नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का आदेश निरस्त किया जावे ।




 राजस्व अपील प्राधिकारी
 अजमेर

6. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। मंदिर श्री महादेव जी ग्राम बांदर सिंदरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर देवस्थान विभाग के अंतर्गत एक पंजीकृत प्रन्यास है जिसका पंजीयन दिनांक 22.2.1980 को मिसल संख्या 26/1977 के तहत हुआ है। रेस्पो० संख्या 1/प्रार्थी संख्या 1 मंदिर का पुजारी/मैनेजर/ ट्रस्टी है। उक्त मंदिर श्री महादेव जी को तत्समय के जागीरदार द्वारा कृषि भूमियां दी गई थी तथा उक्त भूमियों का कब्जा तत्समय के पुजारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/5 के पूर्वज खेमनाथ पुजारी को संभलाया गया था तब से उक्त मंदिर एवं इसकी कृषि भूमियों का कब्जा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 1/3 से 1/5 के पूर्वज पुजारी खेमनाथ का ही चला आ रहा है और वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/4 का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। किसी भी मंदिर के पुजारी/सिबैत तथा ट्रस्टी में अंतर होता है। किसी मंदिर के पुजारी/सिबैत में मंदिर की सम्पतियां निविष्ट नहीं होती है जबकि किसी मंदिर की सम्पतियों का एक बार ट्रस्ट गठित हो जाने के पश्चात् मंदिर की उक्त सम्पतियां ट्रस्टियों में निविष्ट होती है तदनुसार चूंकि मंदिर महादेव जी बान्दर सिन्दरी की सम्पतियों का ट्रस्ट गठित होकर इसका पंजीयन हो गया है, उक्त मंदिर महादेव जी की उक्त सम्पतियां इसके तीन ट्रस्टियों में समान रूप से विधि अनुसार निविष्ट हो गई है। अप्रार्थी संख्या 1/1 धमेन्द्रनाथ ने ट्रस्टी भैरूनाथ के देहांत के पश्चात् गुपचुप तरीके से केवल अपना ही नाम देवस्थान विभाग में भैरूनाथ की जगह ट्रस्टी के रूप में दर्ज करवा लिया जिसका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/2 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/5 के पिता स्व० गिरधारीनाथ को जानकारी होने पर उन्होंने इसे देवस्थान विभाग में धारा 24 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत चुनौती देकर इसकी पुनः जांच करवाने हेतु प्रकरण दर्ज करवाया जो सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर के यहां विचाराधीन है। नामांतकरण संख्या 401 दिनांक 11.6.1992 में वर्णित खाता संख्या 327 किता 19 कुल रकबा 302-09-00 भूमि के कॉलम संख्या 7 में मंदिर श्री महादेव जी स्थान आसन देह खातेदार पुजारी बुद्धनाथ वल्द भैरूनाथ नाबालिग पुजारी सा०देह का अंकन है तथा कॉलम संख्या 9 में मंदिर श्री महादेव जी आसन स्थान देह खातेदार दर्ज हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि में भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ एवं गिरधारीनाथ तीनों ही ट्रस्टी तथा पुजारी हैं एवं वादग्रस्त आराजी से प्राप्त आय से अपनी व मंदिर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्ण क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण/रेस्पो० के पक्ष में पाये जाने से अधी०न्याया० ने अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत आदेश है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।
7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। राजस्व अभिलेख ग्राम बान्दर सिन्दरी के नामांतकरण संख्या 401 दिनांक 11.6.1992 में अंकित खाता संख्या 327 किता 19 कुल रकबा 302-09-00 बीघा भूमि के कॉलम संख्या 7 में मंदिर श्री महादेव जी स्थान आसन देह खातेदारी पुजारी बुद्धनाथ वल्द भैरूनाथ नाबालिग पुजारी जेर अहतमाम भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ, गिरधारी नाथ ट्रस्टी पि० खेमनाथ कौम नाथ सा०देह अंकित है। इसी प्रकार कॉलम संख्या 9 में मंदिर श्री महादेव जी आसन स्थान देह खातेदार दर्ज हुआ है। उक्त अंकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि में भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ एवं गिरधारीनाथ तीनों ही ट्रस्टी तथा पुजारी हैं एवं



Wm
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वादग्रस्त आराजियात से प्राप्त आय से ही अपनी व मंदिर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । भू0अ0निरीक्षक बान्दरसिन्दरी एवं पटवारी हल्का बान्दरसिन्दरी तथा मुण्डोती के संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 2.8.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 62/2014 में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 287 रकबा 61-05-00 बीघा भूमि पर संवत् 2070 में प्रार्थिया/रेस्प0 संख्या 1 सत्तूनाथ की काश्त का अंकन है । उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थी/रेस्प0 संख्या 1 एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार की गई है । उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी की काश्त है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी /रेस्प0 संख्या 1 के पाये जाता है । इसी प्रकार प्रार्थी का पूर्वजों के समय से विवादित आराजियात पर चले आ रहे कब्जे के अनुसार विवादित आराजी प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में पाया जाता है । यदि प्रार्थी/रेस्प0 की प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त होने से यदि प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो अपूर्ण्य क्षति भी प्रार्थी को होने की संभावना है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थी/रेस्प0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांत खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 68/2019 में पारित आदेश दिनांक 9.10.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 25.2.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

